.61/ 1

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक 90/G.III/B/21 दिनांक 02.06.2021

सेवा में,

सचिव/प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य

नवादा विधि महाविद्यालय
नवादा

विषय : वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में शैक्षणिक सत्र 2009–12 एवं 2010–13 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 2,49,76,00,000/– (दो सौ उनचारा करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र में शेष राशि कुल पाँच विश्वविद्यालयों को 74,62,99,600/– (चौहत्तर करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार छः सौ) रुपया मात्र सहायक अनुदान वितरण हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में

संदर्भ : राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/वि.को./वि.स.महा./20/17–311 पटना दिनांक 25/02/2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2009–12 से 2010–13 में 03 कॉलेजों के लिए क्रमशः राशि 4,77,95,700 (चार करोड़ सतहत्तर लाख पनचान्वे हजार सात सौ) मात्र सहायक अनुदान विभागी स्वीकृत्यादेश संख्या 40 दिनांक 31/08/2020 द्वारा स्वीकृत हुआ है।

2. राज्य सरकार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11/2008 के आलोक में सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनुदान के स्वरूप का मूल सिद्धांत प्रति सफल विद्यार्थी भुगतान आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा

दिये गये अनुदान का उपयोग महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

3. डिग्री महाविद्यालयों को अनुमान्य अनुदानित राशि के अन्तर्गत तत्काल प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रुपया तथा इन डिग्री महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना/महाविद्यालय का संबंधन/निर्धारित सीट के अनुसार नामांकन एवं जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की अवशेष राशि विमुक्त करने पर निर्णय लिया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि रुपये 249,76,00,000/- (दो सौ उन्चास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र -- 2009-12 से 2010-13 तक की अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति को निम्न विवरणी के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महाविद्यालय की संख्या	प्रथम किस्त में विमुक्त की जाने वाली राशि	शेष राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया				
			कुल राशि		

कुल विमुक्त की जाने वाली राशि 4,77,95,700 (चार करोड़ सतहत्तर लाख पनचान्वे हजार सात सौ) मात्र

उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया		

5. विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधित महाविद्यालयों के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को अनुदान राशि विमुक्त करने के पूर्व निम्न शर्तों/बंधेजों का पालन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा :

(i) सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के द्वारा अनुदान की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त किये जाने के पूर्व विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11/2008 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा के जिन शैक्षणिक सत्रों के लिए अनुदान राशि विमुक्त की जा रही है, महाविद्यालय का संबंधन उन सत्रों/विषयों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हो। संबद्धता प्राप्त अवधि/संबद्धता प्राप्त विषय की सत्रवार जांच विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने एवं विश्वविद्यालय को स्थापित प्रक्रियानुसार अनुदान राशि विमुक्त की जाए। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से शासी निकाय गठित हो। शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की तदर्थ समिति गठित करने की शक्ति भी प्राप्त है। उक्त विधिवत गठित शासी निकाय के माध्य से ही राशि वितरित होगी।

(ii) यदि किसी महाविद्यालय से संबंधि तमामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय लोकायुक्त/ सिविल कोर्ट/विभाग अथवा अन्य कोई संवैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को अनुदान विमुक्त करने के पूर्व पारित आदेश के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को पूर्व में विमुक्त किये गये अनुदान राशि का सम्पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन (निबंधित चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा) महाविद्यालय से प्राप्त कर समीक्षोपरान्त संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालय को विमुक्त की जायेगी।

(iv) अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम – 2017 की धारा 57 (क) में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन कर्मियों को भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से विधिवत नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आधार से लिंक खाते में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संबंधित महावधिालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान नामक अलग खाते में राशि रखी जायेगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा। अनुदान का उपयोग केवल

शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए ही किया जाएगा। भुगतान उन्हीं शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को किया जायेगा जो विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हों।

(v) राज्य सरकार के संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार ही होना चाहिए।

(vi) डिग्री महाविद्यालयों को अनुमान्य अनुदानित राशि के अन्तर्गत तत्काल प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रुपया मात्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इन डिग्री महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना/महाविद्यालया का संबंधन/निर्धारित सीट के अनुसार नामांकन एवं विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की अवशेष राशि विमुक्त करने पर विचार किया जायेगा।

(vii) महाविद्यालय के आन्तरिक स्त्रोत से प्राप्त 70 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को मिलाकर राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन के अनुसार समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(viii) विश्वविद्यालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विमुक्त किये गये अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न विभागी प्रपत्र में अंकक्षण प्रतिवेदन के साथ एक माह के अन्दार महाविद्यालयों से प्राप्त कर लिया जाय एवं उसकी एक प्रत अविलम्ब शिक्षा विभाग को भेजी जाय।

(ix) महाविद्यायों को राशि विमुक्त/वितरण करने के पश्चात् शीघ्र निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ निश्चित रूप से विश्वविद्यालय द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(x) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय के सरणीयन पंजी (TR) अनुसार उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को आधार मान कर राशि का स्थूल आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के साथ बैठके की गई है। गणना के उपरान्त अनुलग्नक--1 में महाविद्यालयवार राशि कर्णांकित की

गयी है, तथापित राज्यपाल सचिवालय के परिनियम–1098 दिनांक 19/04/1986 के कंडिका–16 एवं समय समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु निर्धारित सीटों की संख्या के आलोक में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर ही अनुदान राशि की वास्तविक विमुक्ति महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया है तो वैसी स्थिति में क्रमांक 01 से निर्धारित सीट भरने तक जिन छात्र/छात्राओं का नामाकन हुआ हो, मात्र उनके परीक्षाफल के आधार पर राशि की गणना कर तथा विश्वविद्यालय द्वारा हरेक पहलू/बिन्दू पर संतुष्ट होने के पश्चात् ही संबंधित महाविद्यालय को अनुदान राशि विमुक्त की जायेगी। चूंकि इन महाविद्यालय का नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा होता है इसलिए किसी भी निदेश के उल्लंघन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी।

(xi) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान की राशि संबंधित महाविद्यालय को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

6. स्वीकृत कुल 249,76,00,000/– (दो सौ उन्चास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र में से तत्काल 175,13,00,400/– (एक सौ पचहत्तर करोड़ तेरह लाख चार सौ) रुपया मात्र की निकासी आवंटन आदेश के आधार पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी तथा विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के वेतन भुगतान हेतु राशि विश्वविद्यालय द्वारा खोले गये P.L. खाता में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

राशि व्यय करते समय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, यथा संशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

1196

ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांक 14/वि.को./वि.स. महा./20/17–917 पटना दिनांक 04/09/2020 की प्रति संलग्न कर निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं क्रमशः 01 से 09 में लगाये गये शर्तों की अनुपालन सुनिश्चित, प्रतिवेदन, शपथ पत्र एवं भुगतेय कर्मियों को आधार लिंक बैंक खाता के साथ सलाह (Advice) के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें, ताकि राशि विमुक्त करने की प्रक्रिया शीघ्र अपनाया जा सके।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आपके महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2009–2012 में रुपया 3371100/- तथा शैक्षणिक सत्र 2010–2013 में रुपया 5978700/- कुल राशि 9349800/- स्वीकृत की गई है विश्वविद्यालय प्रथम किस्त में सत्र 2009–2012 की राशि विमुक्त की जायेगी।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपर वर्णित तथ्यों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की अनुपालन की जांच में अगर अनियमितता पायी जायेगी तो आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा अगले अनुदान एवं संबद्धता रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य होकर राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

F:\Inspector of College (Science)\Niranjan\4- 2021\Manoj\grant money.docx

(51)

पत्रांक 152/G.III 'B'/22

दिनांक 06-05-2022

सेवा में,

सचिव/प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य

नवादा विधि महाविद्यालय

नवादा

विषय : वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में शैक्षणिक सत्र 2011–14 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 2,49,76,00,000/– (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र में शेष राशि कुल पाँच विश्वविद्यालयों को 1,40,85,16,700/– (एक सौ चालीस करोड़ पचासी लाख सोलह हजार सात सौ) रुपया मात्र सहायक अनुदान वितरण हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में

संदर्भ : राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/वि.को./वि.स.महा./04/2021–262 पटना दिनांक 10/03/2022 एवं 286 दिनांक 14/03/2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत कुल 2,49,76,00,000/– (दो सौ उनचास करोड़ छिहतर लाख) रुपया मात्र सहायक अनुदान स्वीकृत करने की कृपा की है।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2011–14 में 47 कॉलेजों के लिए राशि 38,36,64,520/– अड़तीस करोड़ छतीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ बीस) मात्र सहायक अनुदान विभागी स्वीकृत्यादेश संख्या 262 दिनांक 10/03/2022 द्वारा स्वीकृत हुआ है तथा पत्रांक 14/वि.को./वि.स.महा./04/2021–286 पटना दिनांक 14/03/2022 के द्वारा विमुक्त कर जिला कोषागार में स्थानान्तरित हुआ है।

2. राज्य सरकार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11/2008 के आलोक में सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनुदान के स्वरूप का मूल सिद्धांत प्रति सफल विद्यार्थी भुगतान आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त

नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा, स्था–1988, बिहार

E:\Inspector of College (Science)\Niran...\Manoj\2022\...ant money (Anudan) Session 2011-14.docx

राहत शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का उपयोग महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

3. डिग्री महाविद्यालयों को अनुमान्य अनुदानित राशि के अन्तर्गत तत्काल प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रुपया तथा इन डिग्री महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना/महाविद्यालय का संवंधन/निर्धारित नीट के अनुसार नामांकन एवं जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की अवशेष राशि विमुक्त करने पर निर्णय लिया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि रुपये 249,76,00.000/– (दो सौ उन्चास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र – 2011–2014 की अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति को निम्न विवरणी के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महाविद्यालय की संख्या	विमुक्त की जाने वाली राशि	राशि कम होने के कारण प्राप्त राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	2011–14	47	40,36,64,520/–	38,36,64,520
			कुल राशि	40,36,64,520/–	....

कुल विमुक्त की जाने वाली राशि 38,36,64,520/– अड़तीस करोड़ छतीस लाख चौसठ हजार पाँच सौ बीस) मात्र

उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	2011–14 (47 कॉलेज)	38,36,64,520

5. विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधित महाविद्यालयों के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को अनुदान राशि विमुक्त

महाविद्यालय, नवादा स्था–1988 बिहार

जायेगा :

(i) सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के द्वारा अनुदान की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त किये जाने के पूर्व विभागीय संकल्प संख्या 1040 दिनांक 21/11/2008 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिन शैक्षणिक सत्रों के लिए अनुदान राशि विमुक्त की जा रही है, महाविद्यालय का संबंधन उन सत्रों/विषयों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हो। संबद्धता प्राप्त अवधि/संबद्धता प्राप्त विषय की सत्रवार जांच विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा संतुष्ट होने के उपरान्त ही मापदण्ड पूर्ण करने वाले संबंधित महाविद्यालय को स्थापित प्रक्रियानुसार अनुदान राशि विमुक्त की जाए। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से शासी निकाय गठित हो। शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की तदर्थ समिति गठित करने की शक्ति भी प्राप्त है। उक्त विधिवत गठित शासी निकाय के माध्यम से ही राशि वितरित होगी।

(ii) यदि किसी महाविद्यालय से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय लोकायुक्त/सिविल कोर्ट/विभाग अथवा अन्य कोई संवैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को अनुदान विमुक्त करने के पूर्व पारित आदेश के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

(iii) महाविद्यालय के आन्तरिक स्त्रोत से प्राप्त 70 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को मिलाकर राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन/वेतनमान के अनुसार समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(iv) उपयोगिता प्रमाण पत्र – राज्य सरकार द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त किये जा रहे अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर विभागीय प्रपत्र में संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर

ाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगे की राशि विमुक्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

(v) संबंद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रबंधन द्वारा अनुदानित राशि का अंकेक्षण पंजीकृत अंकेक्षण/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अनिवार्य रूप से कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ महाविद्यालय को घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि – पूर्व के प्राप्त अनुदान राशि मिलाकर भुगतान .... (महाविद्यालय का नाम) द्वारा विभाग से प्राप्त वर्णित कुल अनुदान की राशि एवं महाविद्यालय के आन्तरिक स्त्रोत की कुल राशि का 70 प्रतिशत मिलाकर पूरी राशि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया गया है" यह घोषणा पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य, सचिव एव अध्यक्ष द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित होगा।

(vi) राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा वेतन/वेतनमान के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जायेगा। सभी संबंद्ध डिग्री महाविद्यालय अपना–अपना वेबसाईट निश्चित्त रूप से बनायेंगे एवं वेतनादि वितरण की स्पष्ट विवरणी उक्त वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुश्रवण किया जायेगा।

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को पूर्व में विमुक्त किये गये अनुदान राशि का सम्पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन (निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा) महाविद्यालय से प्राप्त कर समीक्षोपरान्त संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालय को विमुक्त की जायेगी।

(viii) अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम – 2017 की धारा 57 (क) में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन कर्मियों को भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से विधिवत नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आधार से लिंक खाते में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान नामक अलग खाते में राशि रखी जायेगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ वही का संधारण होगा। अनुदान का उपयोग केवल शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए ही किया जाएगा। भुगतान उन्हीं शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को किया जायेगा जो विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हों।

महाविद्यालय स्था–1988 बिहार

कमला देवी

... संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार ही होना चाहिए।

(x) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय के सारणीयन पंजी (TR) के अनुसार उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को आधार मान कर राशि का स्थूल आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के साथ बैठके की गई है।

गणना के उपरान्त अनुलग्नक–1 में महाविद्यालयवार राशि कर्णांकित की गयी है, तथापि राज्यपाल सचिवालय के परिनियम 1098 दिनांक 19/04/1986 के कंडिका–16 एवं समय–समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु निर्धारित सीटों की संख्या में आलोक में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर हीं अनुदान राशि की वास्तविक विमुक्ति महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है तो वैसी स्थिति में नामांकन क्रमांक 01 से निर्धारित सीट भरने तक जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ हो, मात्र उनके परीक्षाफल के आधार पर राशि की गणना कर तथा विश्वविद्यालय द्वारा हरेक पहलू/बिन्दु पर संतुष्टि होने के पश्चात् ही संबंधित महाविद्यालय को अनुदान राशि विमुक्त की जायेगी। चूंकि इन महाविद्यालय का नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा होता है, इसलिए किसी भी निदेश के उल्लंघन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी।

(xi) यदि महाविद्यालय द्वारा सारणीयन पंजी (TR) से कम छात्र/छात्राओं के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि की मांग दर्शायी जाती है तो तद्नुसार, अथवा दर्शायी गयी उत्तीणता की संख्या सारणीयन पंजी (TR) में अंकित उत्तीर्णता से ज्यादा होती है तो अधिकतम सारणीयन पंजी (TR) में अंकित उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित शैक्षणिक सत्रों का विश्वविद्यालय के मूल सारणीयन पंजी (TR) से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का मिलान करने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालयों को विमुक्त की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यायल के मूल सारणीयन पंजी (TR) में अंकित उत्तीर्ण विद्यार्थियों से अधिक संख्या का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेगा।

(xii) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान की राशि संबंधित महाविद्यालय को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। अनुदान राशि

स्था–1988

...अन्दर संबंधित महाविद्यालय के खाते में RTGS/NEFT द्वारा स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय। यह महत्वपूर्ण है कि अनुदान का वितरण किसी भी हालत में उपर्युक्त शर्त्तों का उल्लंघन कर नहीं किया जाय। अनुदान की राशि के समुचित वितरण की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

6. वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत आय–व्ययक में "मुख्यशीर्ष" 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष 104 अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता, उपशीर्ष 0003 वित्त संपोषित महाविद्यालय विपत्र कोड 21–2202031040003 विषय शीर्ष 0003–31.04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत 249,76,00,000/– (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र उपबंधित राशि से व्यय का विकलन किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत कुल 249,76,00,000/– (दो सौ उन्चास करोड़ छिहतर लाख) रुपया मात्र में से 1,40,85,16,700/– (एक सौ चालीस करोड़ पचासी लाख सोलह हजार सात सौ) रुपया मात्र की निकासी आवंटन आदेश के आधार पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी तथा विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के वेतन भुगतान हेतु राशि विश्वविद्यालय द्वारा खोले गये P.L. खाता में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी। P.L. खाता की सूची संलग्न है। राशि व्यय करते समय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, यथासंशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. भारत के अंकेक्षण एवं लेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा की वे इस लेखा का अंकेक्षण करें। एतएव इसके लिए सम्पूर्ण राशि का लेखा–जोखा अलग से रखा जायेगा।

10. निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांक 14/वि.को./वि.स. महा./20/17–262 पटना दिनांक 10/03/2022 की प्रति संलग्न कर निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं क्रमशः 01 से 09 में लगाये गये शर्तो की अनुपालन सुनिश्चित, प्रतिवेदन, शपथ पत्र एवं भुगतेय कर्मियों को आधार लिंक बैंक खाता के साथ सलाह (Advice)

नवादा विधि महाविद्यालय नवादा स्था–1980 बिहार

हस्ताक्षर। कार्यालय को पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें, राशि विमुक्त करने की प्रक्रिया शीघ्र अपनाया जा सके।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आपके महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2011–2014 में रुपया 7208700/- कुल राशि 7208700/- स्वीकृत की गई है विश्वविद्यालय को प्राप्त किस्त की राशि से विमुक्त की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्गत शर्त बन्धेजों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कॉलेज प्रधानाचार्य एवं सचिव के स्तर से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कर्मियों में राशि की भुगतान किया जाना है अगर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश की अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के सम्बद्धता समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा कर दी जायेगी एवं आपके विरूद्ध विधि सम्मत प्राथमिकी दर्ज कर भुगतेय राशि की वसुली की जायेगी। इसके लिए सचिव एवं प्रधानाचार्य पूर्णतः जिम्मेवारी माने जायेंगे।

सचिव एवं प्रधानाचार्य के शपथ पत्र में स्पष्ट उल्लेख कर अनुदान राशि की प्राप्ति हेतु विश्वविद्यालय को अनुरोध पत्र के साथ Advice सम्बन्धन का पत्र एवं पूर्व के अनुदान राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपर वर्णित तथ्यों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की अनुपालन की जांच में अगर अनियमितता पायी जायेगी तो आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा अगले अनुदान एवं संबद्धता रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय वाध्य होकर राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

रवि प्रकाश
कुलसचिव 06.05.22
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा
स्था–1988
बिहार

06/05/2022

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

पत्रांक 16/GIII B/23 दिनांक 10.05.2023

USER-ID. C2-G0061

सेवा में,

सचिव / प्रधानाचार्य / प्रभारी प्रधानाचार्य

नवादा विधि महाविद्यालय

नवादा

विषय :वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में शैक्षणिक सत्र 2013—16 में 48 कॉलेजों का एवं 2009—12 से 2013—16 में 2 एवं 4 कॉलेजों के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि 2,49,76,00,000/— (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र में शेष राशि कुल आठ विश्वविद्यालयों को 240,39,77,500/— (दो सौ चालीस करोड़ उनचालीस लाख सतहतर हजार पाँच सौ) मात्र में से 72,05,78,100/—(बहतर करोड़ पाँच लाख अठहतर हजार एक सौ) मात्र सहायक अनुदान वितरण हेतु दिशा—निर्देश के संबंध में

संदर्भ : राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/वि.को./वि.स.महा./04/21 (अंश) — 563 पटना दिनांक 05/04/2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2022—23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत कुल 2,49,76,00,000/— (दो सौ उनचास करोड़ छिहतर लाख) रुपया मात्र सहायक अनुदान स्वीकृत करने की कृपा की है।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013—16 में 48 कॉलेजों का एवं 2009—12 से 2013—16 में 2 एवं 4 कॉलेजों के लिए राशि 72,05,78,100/—(बहतर करोड़ पाँच लाख अठहतर हजार एक सौ) मात्र सहायक अनुदान विभागी स्वीकृत्यादेश संख्या 258 दिनांक 23/03/2023 द्वारा स्वीकृत हुआ है तथा पत्रांक 14/वि.को./वि.स.महा./04/21 (अंश) — 258 पटना दिनांक 23/03/2023 के द्वारा विमुक्त कर जिला कोषागार में स्थानान्तरित हुआ है।

10/5/23

H:\Inspector of College (Science)\Niranjan\GIII'B'\Manoj\2023\May 23\grant money (Anudan) financial year 2022-23 (academic Session 2013-16).docx

2. राज्य सरकार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11/2008 के आलोक में सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनुदान के स्वरूप का मूल सिद्धांत प्रति सफल विद्यार्थी भुगतान आधारित होगा। राज्य सरकार द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा दिय गये अनुदान का उपयोग महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इसका विचलन नहीं किया जायेगा।

3. डिग्री महाविद्यालयों को अनुमान्य अनुदानित राशि के अन्तर्गत तत्काल प्रथम किस्त के रूप में अधिकतम 1.50 (एक करोड़ पचास लाख) रुपया तथा इन डिग्री महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना/महाविद्यालय का संबंधन/निर्धारित सीट के अनुसार नामांकन एवं जांचोपरान्त अनुमान्य राशि की अवशेष राशि विमुक्त करने पर निर्णय लिया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि रुपये 249,76,00.000/– (दो सौ उन्चास करोड़ छिहतर लाख) रुपया मात्र के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2013–16 में 48 कॉलेजों का एवं 2009–12 से 2013–16 में 2 एवं 4 कॉलेजों के लिए अनुदान राशि संबंधित विश्वविद्यालय के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति को निम्न विवरणी के अनुसार राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	अनुदान विमुक्त करने हेतु महाविद्यालय की संख्या	विमुक्त की जाने वाली राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	2013–16	48	72,05,78,100/–
		2009–12 से 2013–16	02 04	
			कुल राशि	**72,05,78,100/–**

कुल विमुक्त की जाने वाली राशि **72,05,78,100/–(बहतर करोड़ पाँच लाख अठहतर हजार एक सौ)** मात्र

उपर्युक्त कंडिकाओं के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विमुक्त की जाने वाली कुल राशि का विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	राशि
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	2013–16 2009–12 से 2013–16	**72,05,78,100/–**

5. विश्वविद्यालय के द्वारा संबंधित महाविद्यालयों के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ महाविद्यालयों को अनुदान राशि विमुक्त करने के पूर्व निम्न शर्तों/बंधेजों का पालन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा :

(i) सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के द्वारा अनुदान की राशि महाविद्यालयों को विमुक्त किये जाने के पूर्व विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11/2008 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि जिन शैक्षणिक सत्रों के लिए अनुदान राशि विमुक्त की जा रही है, महाविद्यालय का संबंधन उन सत्रों/विषयों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हो। संबद्धता प्राप्त अवधि/संबद्धता प्राप्त विषय की सत्रवार जांच विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने एवं विश्वविद्यालय द्वारा संतुष्ट होने के उपरान्त ही मापदण्ड पूर्ण करने वाले संबंधित महाविद्यालय को स्थापित प्रक्रियानुसार अनुदान राशि विमुक्त की जाए। सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में विधिवत् रूप से शासी निकाय गठित हो। शासी निकाय के गठन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसका निराकरण विश्वविद्यालय को ही करना है। विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की तदर्थ समिति गठित करने की शक्ति भी प्राप्त है। उक्त विधिवत गठित शासी निकाय के माध्यम से ही राशि वितरित होगी।

(ii) यदि किसी महाविद्यालय से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायलय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय लोकायुक्त/सिविल कोर्ट/विभाग अथवा अन्य कोई संवैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को अनुदान विमुक्त करने के पूर्व पारित आदेश के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

(iii) महाविद्यालय के आन्तरिक स्त्रोत से प्राप्त 70 प्रतिशत राशि एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि को मिलाकर राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के विभिन्न कोटि के विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन/वेतनमान के अनुसार समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

(iv) उपयोगिता प्रमाण पत्र – राज्य सरकार द्वारा संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त किये जा रहे अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के एक माह के अन्दर विभागीय प्रपत्र में संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा उसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगे की राशि विमुक्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

(v) संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के प्रबंधन द्वारा अनुदानित राशि का अंकेक्षण पंजीकृत अंकेक्षण/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अनिवार्य रूप से कराया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा। अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ महाविद्यालय को घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि – " राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों को (महाविद्यालय का नाम) द्वारा विभाग से प्राप्त वर्णित कुल अनुदान की राशि एवं महाविद्यालय के आन्तरिक स्त्रोत की कुल राशि का 70 प्रतिशत मिलाकर पूरी राशि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया गया है" यह घोषणा पत्र महाविद्यालय के प्राचार्य, सचिव एव अध्यक्ष द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित होगा।

(vi) राशि का वितरण महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा वेतन/वेतनमान के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जायेगा। सभी संबंद्ध डिग्री महाविद्यालय अपना–अपना वेबसाईट निश्चित रूप से बनायेंगे एवं वेतनादि वितरण की स्पष्ट विवरणी उक्त वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुश्रवण किया जायेगा।

(vii) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को पूर्व में विमुक्त किये गये अनुदान राशि का सम्पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण प्रतिवेदन (निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा) महाविद्यालय से प्राप्त कर समीक्षोपरान्त संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालय को विमुक्त की जायेगी।

(viii) अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम – 2017 की धारा 57 (क) में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन कर्मियों को भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से विधिवत नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को आधार से लिंक खाते में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संबंधित महावद्यिालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान नामक अलग खाते में राशि रखी जायेगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा। अनुदान का उपयोग केवल शिक्षक/शिक्षकेत्तर

ंयों के वेतन भुगतान के लिए ही किया जाएगा। भुगतान उन्हीं शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों ो किया जायेगा जो विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत हों।

(ix) राज्य सरकार के संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मापदण्ड के अनुसार ही होना चाहिए।

(x) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय के सारणीयन पंजी (TR) के अनुसार उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को आधार मान कर राशि का स्थूल आकलन किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों के साथ बैठके की गई है।

गणना के उपरान्त अनुलग्नक–1 में महाविद्यालयवार राशि कर्णांकित की गयी है, तथापि राज्यपाल सचिवालय के परिनियम 1098 दिनांक 19/04/1986 के कंडिका–16 एवं समय–समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन हेतु निर्धारित सीटों की संख्या में आलोक में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के आधार पर हीं अनुदान राशि की वास्तविक विमुक्ति महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है तो वैसी स्थिति में नामांकन क्रमांक 01 से निर्धारित सीट भरने तक जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन हुआ हो, मात्र उनके परीक्षाफल के आधार पर राशि की गणना कर तथा विश्वविद्यालय द्वारा हरेक पहलू/बिन्दु पर संतुष्टि होने के पश्चात् ही संबंधित महाविद्यालय को अनुदान राशि विमुक्त की जायेगी। चूंकि इन महाविद्यालय का नियंत्रण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा होता है, इसलिए किसी भी निदेश के उल्लंघन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय की होगी।

(xi) यदि महाविद्यालय द्वारा सारणीयन पंजी (TR) से कम छात्र/छात्राओं के उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि की मांग दर्शायी जाती है तो तद्नुसार, अथवा दर्शायी गयी उत्तीणता की संख्या सारणीयन पंजी (TR) में अंकित उत्तीर्णता से ज्यादा होती है तो अधिकतम सारणीयन पंजी (TR) में अंकित उत्तीर्णता के आधार पर संबंधित शैक्षणिक सत्रों का विश्वविद्यालय के मूल सारणीयन पंजी (TR) से उर्त्तीण छात्र/छात्राओं का मिलान करने के उपरान्त ही अनुदान राशि महाविद्यालयों को विमुक्त की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यायल के मूल सारणीयन पंजी (TR) में अंकित उर्त्तीण विद्यार्थियों से अधिक संख्या का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेगा।

(xii) विश्वविद्यालयों द्वारा उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान की राशि संबंधित महाविद्यालय को विमुक्त करने की कार्रवाई की जाय। अनुदान राशि 15 दिनों के अन्दर संबंधित महाविद्यालय के खाते में RTGS/NEFT द्वारा स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय। यह महत्वपूर्ण है कि अनुदान का वितरण किसी भी हालत में उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन कर नहीं किया जाय। अनुदान की राशि के समुचित वितरण की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।

6. वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत आय–व्ययक में "मुख्यशीर्ष" 2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष 104 अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता, उपशीर्ष 0003 वित्त संपोषित महाविद्यालय विपत्र कोड 21–2202031040003 विषय शीर्ष 0003–31.04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत 249,76,00,000/– (दो सौ उनचास करोड़ छिहत्तर लाख) रुपया मात्र उपबंधित राशि से व्यय का विकलन किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत कुल 249,76,00,000/– (दो सौ उन्चास करोड़ छिहतर लाख) रुपया मात्र में से **230,72,12,700/– (दो सौ तीस करोड़ बहत्तर लाख बारह हजार सात सौ)** रुपया मात्र की निकासी आवंटन आदेश के आधार पर सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी तथा विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के वेतन भुगतान हेतु राशि विश्वविद्यालय द्वारा खोले गये P.L. खाता में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी। P.L. खाता की सूची संलग्न है। राशि व्यय करते समय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, यथासंशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. भारत के अंकेक्षण एवं लेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा की वे इस लेखा का अंकेक्षण करें। एतएव इसके लिए सम्पूर्ण राशि का लेखा–जोखा अलग से रखा जायेगा।

10. निदेशक, (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्रांक 14/वि.को./वि.स. महा. /04/2021 (अंश)–563 पटना दिनांक 05/04/2023 की प्रति संलग्न कर निदेशित किया

जाता है कि उक्त पत्र में अंकित बिन्दुओं क्रमशः 01 से 07 में लगाये गये शर्तों की अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रतिवेदन, शपथ पत्र एवं भुगतेय कर्मियों को आधार लिंक बैंक खाता के साथ Advice के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायें, ताकि राशि विमुक्त करने की प्रक्रिया शीघ्र अपनाया जा सके।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आपके महाविद्यालय के **शैक्षणिक सत्र 2013–16 में 48 कॉलेजों का एवं 2009–12 से 2013–16 में 2 एवं 4 कॉलेजों के लिए रुपया 72,05,78,100/–(बहतर करोड़ पाँच लाख अठहतर हजार एक सौ)** मात्र मगध विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत की गई है जो विश्वविद्यालय के PL राजकीय जिला कोषागार, गया में संचित है।

राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2013–16 में 48 कॉलेजों में से आपके महाविद्यालय (① 7272000/-) के लिए रुपया ② 1905300/- ③ 1162800/- स्वीकृत की गई है विश्वविद्यालय को प्राप्त किस्त की राशि से विमुक्त की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्गत शर्त बन्धेजों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कॉलेज प्रधानाचार्य एवं सचिव के स्तर से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही कर्मियों में राशि की भुगतान किया जाना है अगर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश की अनुपालन सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के सम्बद्धता समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा कर दी जायेगी एवं आपके विरूद्ध विधि सम्मत प्राथमिकी दर्ज कर भुगतेय राशि की वसुली की जायेगी। इसके लिए सचिव एवं प्रधानाचार्य पूर्णतः जिम्मेवारी माने जायेंगे।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपर वर्णित तथ्यों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की अनुपालन की जांच में अगर अनियमितता पायी जायेगी तो आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा अगले अनुदान एवं संबद्धता रद्द करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य होकर राज्य सरकार को अनुशंसा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

Kumar 10.05.23

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

H:\Inspector of College (Science)\Niranjan\GII'B'\Manoj\2023\May 23\grant money (Anudan) financial year 2022-23 (academic Session 2013-16).docx

RMDV AND COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS

SHOP NO. 30, AMBEDKAR MARKET, NEAR CIVIL LINES, GAYA- 823001

Branch Office- Kolkatta, Patna, Madhepura, Purnia

Mob. No. 8757033877, 9546787379, E-mail: cavijayyadav12@gmail.com

F.Y. 2022-23

UTILISATION CERTIFICATE

Certified that The Grant of Rs.72,08,700/-(Rupees Seventy Two Lakh Eight Thousand Seven Hundred only) Grant Received throught NEFT-RBI0352381472852, Dt:- 03-02-2023 Canara Bank, Nawada M.U. Bodh-Gaya Vide Letter No.- 152/G III 'B'/22, Session 2011-2014 has been received by the **"NAWADA VIDHI MAHAVIDYALAYA, NAWADA, BIHAR"** from Ministry of HRD, through M.U. Bodh-Gaya for Salary distribution and EPF purpose and it has been properly utilized for the purpose for which it was sanctioned as per our Examination of Books of Accounts, Acquittance Roll Register Pass Book/Bank Statement and other records/documents produced to us and information and explanation given to us.

14.07.23

RMDV AND COMPANY
Chartered Accountants

Vijay Kumar

Place:- GAYA
Date:- 18.07.2023

CA VIJAY KUMAR
Partner
M. No. 52826
FRN No. 021429N

RMDV AND COMPANY GAYA Chartered Accountants

RMDV AND COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS

SHOP NO. 30, AMBEDKAR MARKET, NEAR CIVIL LINES, GAYA- 823001

Branch Office- Kolkatta, Patna, Madhepura, Purnia

Mob. No. 8757033877, 9546787379, E-mail: cavijayyadav12@gmail.com

F.Y. :- 2020-21

UTILISATION CERTIFICATE

Certified that The Grant of Rs.93,49,800.00/-(Rupees Ninety Three Lakh Forty Nine Thousand Eight Hundred only) Grant Received Vide NEFT-RBI264216, Dt:- 21-09-2021 Canara Bank, Nawada through M.U. Bodh-Gaya Vide Letter No.- 497/G III B Session 2009-2012 has been received by the **"NAWADA VIDHI MAHAVIDYALAYA, NAWADA, BIHAR"** from Ministry of HRD, through M.U. Bodh-Gaya for Salary distribution purpose and it has been properly utilized for the purpose for which it was sanctioned as per our Examination of Books of Accounts, Acquittance Roll Register Pass Book/Bank Statement and other records/documents produced to us and information and explanation given to us.

RMDV AND COMPANY

Chartered Accountants

Place:- GAYA

Date:- 22.04.2022

CA VIJAY KUMAR

Partner

M. No. 52826

FRN No. 021429N

27/04/2022 27/04/22 27/4/2022